

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: स. 27(3)(9)पदो./अभि/2025/372-420
आदेश

जयपुर, दिनांक:- 24/03/2026

राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा पर निम्न तालिका में वर्णित वरिष्ठ सहायको को सहायक प्रशासनिक अधिकारी (Pay Matrix L-10) के पद पर वर्ष 2025-26 की रिक्तियों के प्रति वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से पदोन्नत किया जाता है।

क्रं. सं.	अधिकारी का नाम मय पिता/पति का नाम सर्वश्री	वर्ग	जन्म तिथि	रिक्ति जिसके विरुद्ध किया गया।	दिनांक चयन	वि.वि.
1.	शीशराम/झाबर सिंह जाट	UR	17-09-89	01-04-2025		--
2.	किशन लाल रैगर/कालूराम	SC	05-07-92	01-04-2025		--
3.	अमरपाल मीणा/कानाराम मीणा	UR	11-06-86	01-04-2025		--
4.	महेन्द्र कुमार लोधा/गुलाब चन्द	ST	05-06-95	01-04-2025		--
5.	ममता कंवर/नरपत सिंह	UR	15-02-84	01-04-2025		--
6.	चन्दा देवी/मनीष कुमार	SC	17-10-92	01-04-2025		--
7.	अरविन्द कुमार/ओम प्रकाश	UR	07-07-92	01-04-2025		--
8.	गोविन्द सैन/विनोद कुमार	UR	06-10-94	01-04-2025		--
9.	कृष्णपाल सिंह/खीम सिंह	UR	18-06-96	01-04-2025		--
10.	मुकेश कुमार/कैलाश चन्द सैन	UR	07-07-88	01-04-2025		--

नोट:-

- उपरोक्त चयनित अधिकारी रिक्ति की तिथि से पदोन्नति का पात्र है परन्तु पदोन्नति के वास्तविक (नकद) लाभ पदस्थापन आदेश जारी होने के पश्चात कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे।
- श्री किशन लाल रैगर के दिनांक 01-06-2002 के पश्चात दो से अधिक संतान हैं अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16-03-2023 की पालना में श्री किशन लाल रैगर का सहायक प्रशासनिक अधिकारी की पदोन्नति पद पर वेतन नियत किया जायेगा किंतु वह तीन पश्चातवर्ती वर्षों के लिए वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु, काल्पनिक रूप से हकदार होंगे और ऐसे तीन वर्षों के पश्चात इन्हे ऐसी वेतनवृद्धियों के वास्तविक फायदे अनुज्ञेय होंगे, तथापि, ऐसी काल्पनिक वेतनवृद्धियों के लिए कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा।


(तिरूपति कुमार गुप्ता)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय/अभियोजन), अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक अभियोजन ।
4. उप निदेशक अभियोजन, ।
5. संस्थापन वरिष्ठ शाखा, अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
6. सम्बन्धित अधिकारी.....द्वारा:-कार्यालयध्यक्ष।
7. रक्षित पत्रावली ।


निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर
24/3/24